तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट भागूराम बनाम तहसीलदार 2020/00056	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री घासीराम कड़वा राजपैरोकार (तहसीलदार परबतसर)

निर्णय

दिनांक :– 06/7/2024

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बगतावरपुरा के खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 96 रकबा 5.42 हैक्टयर स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम मांगू पुत्र गंगाराम लिखा हुआ है जो प्रार्थी का बोलता नाम हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भागूराम पुत्र गंगाराम हैं प्रार्थी अन्य समस्त दस्तोवजात में नाम भागूराम पुत्र गंगाराम अंकित है, ग्राम बगतावरपुरा में मांगू पुत्र गंगाराम तथा भागूराम पुत्र गंगाराम नाम का एक ही व्यक्ति प्रार्थी है इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बगतावरपुरा के खसरा नम्बर 95, 96 में मांगू पुत्र गंगाराम के स्थान पर भागूराम पुत्र गंगाराम दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई विधि के सुसंगत प्रावधानो एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम बगतावरपुरा के खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 96 रकबा 5.42 हैक्टयर भूमि में राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी कारण के भागूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मांगू पुत्र गंगाराम गलती से दर्ज किया जाना बतायां है जिसको दुरूस्त कर पुनः भागूराम पुत्र गंगाराम दर्ज किए जाने का निवेदन किया है। जबकि प्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इस विवादित आराजीयत के राजस्व रेकार्ड में कभी भी प्रार्थी का नाम भागूराम पुत्र गंगाराम दर्ज रहा है, राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मांगू पुत्र गंगाराम कब ओर किस प्रकार दर्ज हुआ यह भी अपने प्रार्थना पत्र में बताया है, प्रार्थी का नाम उक्त भूमि फौतगी नामान्तकरण से आया है अथवा भूमि क्रय करने से आया है इस सम्बन्ध में भी प्रार्थी ने कुछ भी नहीं बताया है। केवल मात्र मौखिक रूप से कहने के आधार पर राजस्व रेकार्ड में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दुरूस्त किये जाने योग्य नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/7/24

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)